



भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh

(AN ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS)

(AN INDUSTRIAL UNIT OF B.M.S.)

(RECOGNISED BY MINISTRY OF DEFENCE, GOVT. OF INDIA)

CENTRAL OFFICE : 2-A, NAVIN MARKET, KANPUR-1 • PH.: (0512) 2332222 • FAX : (0512) 2296229
Mob. : 09335621629, 09415726924, 09415733686 • E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpm@yahoo.in

Ref: BPMS/OFB/Production/226 (8/3/L)

Dated: 11-04-2020

To,
The DGOF + Chairman,
OFB, Kolhata - 750001.

Kind Attn: Shri Miraj Kela, DDG/IR.

Subject: Working of Oufys on Sunday/Holidays.

महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि अपना देश 'भारत' वर्तमान में एक विश्वव्यापी 'कोरोना महामारी' से पीड़ित है जिसके निदान एवं राहत हेतु अनेको आधुनिक निर्माणों विभिन्न 'मेडिकल उपकरणों' के विकास एवं उत्पादन में संलग्न हैं, जिनके प्रयत्नों की प्रशंसा सभी क्षेत्रों में हो रही है। इन 'मेडिकल उपकरणों' की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक निर्माणों में अधिकारियों/अराजपालित/औद्योगिक/अनौद्योगिक कर्मचारियों को अवरत कार्य करने की आवश्यकता है और वे सभी रविवार/सार्वजनिक अवकाश में भी कार्य करने को तत्पर हैं। परन्तु उसमें रक्षा मंत्रालय/ओ.एफ.बी. का दिशा निर्देश बाधा उत्पन्न कर रहा है जिसके अनुसार रविवार/सार्वजनिक अवकाश में निर्माणों में कार्य करने, कार्य के फलस्वरूप समझौते पर बदले में अवकाश देने पर प्रतिबन्ध है।

इस महासंघ में दिनांक 02-मार्च-2020 को सचिव, रक्षा उत्पादन, भारत सरकार से मीटिंग का उक्त प्रतिबन्ध को समाप्त करने की मांग की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि निर्माणों/राष्ट्र हित में इस पर विचार करेंगे।

अतः आपसे निवेदन है कि आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए धरि महाप्रबन्धकों/महाप्रबन्धकों को अधिकार प्रदान करें ताकि वे रविवार/सार्वजनिक अवकाश के दिन निर्माणों में उत्पादन के प्रतिबन्ध को समाप्त कर सकें एवं साथ ही Factories Act-1948 के Section 59 का अनुपालन भी करते रहे।

धन्यवाद।

भवदीय

(मुकेश सिंह)
महासंघी